

अपील संख्या: 17/2016

परमजीत सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह जाति छिम्पासिख निवासी चक 14 एसपीडी तहसील श्रीवास्तव

बनाम

तहसीलदार राजस्व तहसील सुरतमण्डल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता अपीलांत श्री सर्वजीत छाबड़ा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक 13.12.2017


1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सुरतमण्डल दिनांक 26.02.2016 पर चक 14/एसपीडी के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
2. अपील में अपीलांत को अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमी घोषित करते हुए 20 युग्म फेनली राशि 1771 रूपये तावान कायम करते हुए चक 14 एसपीडी को मुरब्बा च 101/354 में 2.530 है0 गेंहू 1.012 में सरसों कुल 3.542 है0 भूमि पर काश्त फसल को कुर्क करने के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है।
3. यह है कि अपीलांत द्वारा वाके चक 14 एसपीडी को मुरब्बा च 101/354 में 2.530 है0 भूमि पर काश्त करने पर अतिक्रमी माना है। जो पूर्णतया गलत है। पटवारी हल्कम के गलत रिपोर्ट तैयार की गई है क्योंकि अपीलांत अपनी स्वयं की भूमि काश्त की है। अपीलांत का उक्त भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है व विद्यमान की कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रखी है। यदि अपीलांत को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलांत को नापूर होने वाला नुकसान होगा तथा विद्यमान की कार्यवाही विफल हो जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26.02.2016 को दर्ज की गई दिनांक 14.3.2016 को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन कुर्क करने का आदेश दिनांक 26.02.2016 को बिना सुने, बिना नोटिस दिये दे दिया जो विधि विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती है।
4. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अपील 17/16 पर दर्ज की जाकर रजिस्ट्रार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांत की और से श्री सर्वजीत छाबड़ा अधिवक्ता पेश हुए एवं राजपैरोकार उपस्थित आए।
5. अपीलांत द्वारा दिनांक 06.12.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर विवेचन किया कि अपील में सहवन से स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीवास्तवमण्डल लिखा है के गलत अंकन हो हटाकर स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सुरतमण्डल करवाना चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली सुरतमण्डल तहसील से संबंधित होने के कारण प्रार्थी अपीलांत का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2017 स्वीकार किया जाता है।
6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांत ने विवेचन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 26.02.2016 को दर्ज की गई दिनांक 14.3.2016 को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया लेकिन कुर्क करने का आदेश दिनांक 26.02.2016 को बिना सुने, बिना नोटिस दिये एक ही दिन में कुर्क के आदेश दे दिये। हम दिनांक 26.02.2016 के आदेश के विरुद्ध ही इस न्यायालय में आये है। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही समस्त कार्यवाही की गई है। उक्त रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार की गई है। अपीलांत का उक्त भूमि पर 1995 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है व विद्यमान की कार्यवाही हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रखी है। यदि अपीलांत को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो अपीलांत को नापूर होने वाला नुकसान होगा तथा विद्यमान की

कार्यवाही विफल हो जायेगी। उक्त तमाम कार्यवाही नियम विरुद्ध की गई है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जावे। राज पैरोकार ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलांत ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है। अपीलांत ने स्वयं दिनांक 14.03.2016 को उपस्थित होकर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अपीलांत के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अपीलांत ने स्वयं अतिक्रमण स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि अपीलांत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.03.2016 द्वारा होती है।

अपीलांत द्वारा यह अपील तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 26.02.2016 के विरुद्ध पेश की है, जिसमें अपीलांत द्वारा काश्त फसल को कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं, परन्तु अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई है। प्रकरण राजहित से संबंधित है। अतः तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 26.02.2016 व आदेश दिनांक 14.03.2016 यथावत् रखा जाता है। व आदेश दिनांक 14.03.2016 को लागू किया जाकर आगामी कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(चौद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़
सूरतगढ़